

मतदान हेतु सामान्य अनुदेश

1. साधारण सभा के सदस्यों के चुनाव हेतु दिनांक: 02-03-2025 समय प्रातः 08:00 बजे से साय:04:00 बजे तक मतदान हेतु तिथि एवं समय निर्धारित किया गया है।
2. जिन विभागों के डेलिगेट के चुनाव हेतु मतदान कराया जाना है उन विभागों के नाम व विभागवार चुने जाने वाले डेलिगेट की संख्या निम्नवत है।
 - लेखा - 09
 - सिगनल - 20
 - भण्डार - 11
 - चिकित्सा - 20
 - विद्युत - 20
3. मतदान स्थल –
 - बैंक मुख्यालय परिसर गोरखपुर
 - बैंक की लखनऊ शाखा परिसर
 - बैंक की वाराणसी शाखा परिसर
 - बैंक के चेजिंग कार्यालय समस्तीपुर
 - बैंक के चेजिंग कार्यालय सोनपुर
 - बैंक के चेजिंग कार्यालय इज्जतनगर
4. पहचान पत्र:- मतदान हेतु मतदान की विभागीय पहचान पत्र अथवा कोई भी फोटो युक्त सरकारी पहचान पत्र जिसमे मतदाता की वास्तविक पहचान स्थापित हो सके लाना अनिवार्य है।
5. मतदान हेतु विभागवार चुने जाने वाले डेलिगेटों की संख्या से अधिक उम्मीदवारों को मत देने पर मत निरस्त माना जायेगा।
6. मतदान हेतु जिस / जिन उमीदवार / उमीदवारों को मत देना चाहते हैं, उनके नाम के सामने गुणे (X) का चिन्ह लगाना अनिवार्य होगा।
7. मत अंकित करने हेतु गुणे (X) का चिन्ह के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार का चिन्ह बनाना अथवा हस्ताक्षर किया जाना इत्यादि अस्वीकृत होगा तथा मत निरस्त माना जायेगा।
8. दिनांक:- 23-02-2025 नाम वापसी के उपरान्त निर्वाचन लड़ने वाले उमीदवारों की सूची के क्रमानुसार ही मतपत्र में उमीदवारों का क्रम होगा।

